



2026:AHC: 61296

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपील संख्या - 12467/2023**

बखत सिंह गुर्जर और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: निखिल कुमार, प्रशांत कान्हा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, सौरभ यादव

---

**न्यायालय संख्या - 53**

**माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद**

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम, जालौन स्थान उरई द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.07.2023 और सत्र परीक्षण संख्या 45 वर्ष 2023, धारा 304 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(वी) राज्य बनाम बखत सिंह और अन्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 0156 वर्ष 2023, पुलिस स्टेशन जालौन, जिला जालौन से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र संख्या 01 दिनांक 28.06.2023 शामिल है, जो विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम, जालौन स्थान उरई के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों को चुनौती दी गई है।
3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलतफहमी में दर्ज की गई है और यह झूठे तथा मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें कहा गया है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलतफहमी के कारण दर्ज की गई थी और पक्षकारों ने अब सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझा लिया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आपराधिक कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।

4. यह तर्क दिया गया है कि कथित चश्मदीद गवाह, अर्थात् मोनू जो मृतक तिजोले का पोता है, ने एक नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया है और पुलिस अधीक्षक, जालौन को एक पत्र भेजकर कहा है कि 01.05.2023 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ व्यक्तियों के अनुचित प्रभाव में दर्ज की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मृतक तिजोले, जिसकी आयु लगभग 75 वर्ष थी, की मृत्यु का कारण माइक्रोनोडुलर सिरोसिस के कारण सेप्टीसीमिया बताया गया है और कथित हमले तथा मृतक की मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए, किसी भी कल्पना से, धारा 304 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है।

5. उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 304 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत दर्ज कराई गई है। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने जाति-आधारित टिप्पणियों के साथ गालियां दीं और जब मृतक जमीन पर लेटा हुआ था तो उस पर लाठी और डंडे से हमला किया। कथित घटना 01.05.2023 को हुई थी।

6. एक विस्तृत विवेचना के बाद, दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 304 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अपने बयान में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

7. हालांकि, शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 12.02.2024 का एक संक्षिप्त प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया है जिसके प्रस्तर संख्या 3 में कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलतफहमी में दर्ज की गई थी और अब पक्षकारों ने अपना विवाद सुलझा लिया है तथा उत्तर देने वाला प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 2 मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. वर्तमान में क्षेत्राधिकारी, जिला जालौन के पद पर तैनात उमेश कुमार पांडेय द्वारा दिनांक 07.04.2025 का एक प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 75 वर्षीय मृतक पर अपीलकर्ता संख्या 1 और उसके पुत्र अपीलकर्ता संख्या 2 ने हमला किया था, और आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह आगे कहा गया है कि मोनू नामक एक चश्मदीद गवाह है, जिसने अपने बयान में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। चश्मदीद गवाह के बयान की एक छायाप्रति प्रतिशपथ पत्र के अनुलग्नक-2 के रूप में दाखिल की गई है। मृत्यु का कारण माइक्रोनोडुलर सिरोसिस के कारण सेप्टीसीमिया बताया गया है, और उसके बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

9. अपीलकर्ताओं ने दिनांक 20.04.2025 का एक प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथित चश्मदीद गवाह का बयान विश्वास पैदा नहीं करता है। यह दोहराया गया है कि उक्त चश्मदीद गवाह ने बाद में घटना से इनकार करते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है और आरोप लगाया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुचित प्रभाव में दर्ज की गई थी। इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि मृत्यु का कारण माइक्रोनोडुलर सिरोसिस के कारण सेप्टीसीमिया था, जिसे अपीलकर्ताओं के अनुसार, सीधे कथित घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत दर्ज की गई है। विवेचना के दौरान, विपक्षी संख्या 2 ने शुरुआत में अभियोजन के मामले का समर्थन किया। यह प्रकरण धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत नहीं है, बल्कि धारा 304 भा.द.सं. के अंतर्गत है, अर्थात् आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घायल को दिनांक 01.05.2023 की कथित घटना में चोटें आईं और बाद में 02.05.2023 को उसकी मृत्यु हो गई।

11. इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मृतक की आयु लगभग 75 वर्ष थी। हालांकि, जब किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होती है, यहां तक कि वृद्धावस्था में भी, तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय वर्तमान आपराधिक अपील में कोई बल नहीं पाता है। अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

**23 मार्च, 2026**

एम. तारिक

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”